

प्रेस- नोट
थाना सिधारी

हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना.. दिनांक 07.11.2023 को वादी जगदीश सेठ पुत्र हीरालाल सेठ निवासी डी0ए0वी0 इण्टर कालेज के पीछे काशीराम आवास थाना कोतवाली, आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि प्रतिवादीगण द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर वादी के भाई ज्ञानू को गाली गुप्ता देने व डण्डा से सर प्रहार करने जिससे गिर कर मौके पर बेहोश जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर का आधार पर मु0अ0सं0 431/2023 धारा 323/308/504/506 भादवि बनाम 02 नफर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा द्वारा किया जा रहा है।

दौराने विवेचना पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि की वृद्धि गयी।
गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 09.11.2023 को उ0नि0 देवीप्रसाद मिश्रा मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार सेठ पुत्र स्वामीनाथ सेठ निवासी देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता काशीराम आवास चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को उसके आवास काशीराम आवास चकगोरया थाना सिधारी आजमगढ़ से समय करीब 14.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशा देही पर मुकदमा उक्त की घटना में प्रयुक्त एक अदद बांस का डण्डा जिसके नीचे लाहे का मोटा तार लपेटा हुआ था को उसके आवास के अन्दर से बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 431/2023 धारा 323/308/504/506/307 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकुमार सेठ पुत्र स्वामीनाथ सेठ निवासी देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता काशीराम आवास चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

बरामदगी – घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण उ0नि0 देवीप्रसाद मिश्रा मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना तरवां
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 08.11.2023 को रामप्रसाद विन्द थानाध्यक्ष थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट बावत गैंग लीडर अभियुक्त रणधीर यादव पुत्र स्व0 परमा यादव सा0 कम्हरिया कुर्थिया थाना तरवां आजमगढ़ व गैंग के सदस्य अशोक यादव पुत्र स्व0 परमा यादव 2. विवेक यादव पुत्र अशोक यादव नि0गण ग्राम कम्हरिया कुर्थिया थाना तरवां आजमगढ़ के साथ एक संगठित गैंग बना लिया है। गैंग लीडर रणधीर यादव पुत्र स्व0 परमा यादव सा0 कम्हरिया कुर्थिया थाना तरवां आजमगढ़ अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए वर्णित अपराधों को कारित करने का अभ्यस्थ अपराधी है, के आशय का अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट मय तहरीर प्रधान लेखक/सहायक लेखक अभियोग पंजीकृत करे थाना कार्यालय दाखिल किए दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 297/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बनाम 02 नफर पंजीकृत है। जिसकी प्रारम्भिक विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 09.11.2023 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विवेक पुत्र पुत्र अशोक यादव सा0 कम्हरिया कुर्थिया थाना तरवां आजमगढ़ को खरिहानी बाजार से समय करीब 5.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- 297/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- विवेक पुत्र पुत्र अशोक यादव सा0 कम्हरिया कुर्थिया थाना तरवां आजमगढ़

क्र.सं. मु0अ0सं0 धारा थाना जिला

1 79/2023 323/504/506 भादवि तरवां आजमगढ़

2 249/2023 323/447/506 भादवि तरवां आजमगढ़

3 1586/19 419/420/467/468/471 भादवि 65 आईटी एक्ट कैण्ट वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्त – विवेक यादव पुत्र अशोक यादव सा0 कम्हरिया कुर्थिया थाना तरवा आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री रामप्रसाद विन्द मय हमराह थाना तरवां आजमगढ़।

थाना- बरदह

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.11.23 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रवि सोनकर पुत्र रामअवतार सोनकर ग्राम मोहल्ला कटघर लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा 303 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर के साथ ग्राम भागमलपुर से 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 469/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट बनाम रवि सोनकर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - रवि सोनकर पुत्र रामअवतार सोनकर ग्राम मोहल्ला कटघर लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक अदद देशी तमंचा 303 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 469/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 कमला सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 सौरभ पाण्डेय थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 नितीन कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- बरदह

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 09.11.23 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त मोनू सोनकर पुत्र शंकर सोनकर मोहल्ला कटघर लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा 315 व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ जिवली तिराहे से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 468/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त मोनू सोनकर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- मोनू सोनकर पुत्र शंकर सोनकर मोहल्ला कटघर लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक अदद देशी तमंचा 315 व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 468/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 468/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 गोपाल थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 यशपाल गुप्ता थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 अनिल कुमार यादव थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- पीड़िता/ वादिनी की तहरीरी सूचना कि दिनांक 6/11/023 को समय करीब 4.00 बजे को मेहनगर बाजार मे दवा लेने गयी थी तभी विपक्षी सुशील गुप्ता जिसका कपडा की दुकान है वो मुझे अपने दुकान में बुलाया फिर मुझे अपने घर मे ले गया और वो मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 481/23 धारा 376 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC/ST ACT के तहत पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण दिनांक 09.11.2023 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुशील गुप्ता पुत्र स्व0 लालजी गुप्ता निवासी वार्ड नं0 08 हरिवंशनगर कस्बा मेंहनगर को अक्षैबर पुलिया से समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - सुशील गुप्ता पुत्र स्व0 लालजी गुप्ता निवासी वार्ड नं0 08 हरिवंशनगर कस्बा मेंहनगर थाना मेंहनगर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 481/23 धारा 376 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC/ST ACT थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 अभिषेक सिंह व का0 आदित्य पाण्डेय थाना मेंहनगर आजमगढ़

थाना- कोतवाली
गैंगेस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास – दिनांक 12.7.2016 को राकेश मल्लाह उर्फ गुड्डू साहनी पुत्र रामचरन साहनी निवासी राहुल नगर मड्या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ एक अदद चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार हुआ था। जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 252/16 धारा 41,411,419,420, भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध काफी मुकदमा पंजीकृत है जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त का गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें उपरोक्त अभियुक्त वांछित था।

गिरफ्तारी का विवरण – प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राकेश मल्लाह उर्फ गुड्डू साहनी पुत्र रामचरन साहनी निवासी राहुल नगर मड्या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 28 को गांधी आश्रम शारदा तिराहा से दिनांक 9.11.23 को समय 1.25 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अं0सं0 642/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- राकेश मल्लाह उर्फ गुड्डू साहनी पुत्र रामचरन साहनी निवासी राहुल नगर मड्या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बरामदगी का विवरण:- 1 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अं0सं0 642/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	388/23	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
2	47/22	380/457 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
3	62/22	380/457 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
4	81/22	3 /25 शस्त्र अधि.	जीयनपुर	आजमगढ़
5	10/21	380/457/411 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
6	22/21	380/457/411 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
7	27/21	3/ 25 शस्त्र अधि, 401/411 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
8	152/21	3/ 25 शस्त्र अधि.	निजामाबाद	आजमगढ़
9	252/16	41,411,419,420 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
10	80/22	380,411,457 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
11	642/23	3/ 25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय, उ0नि0 लालबहादुर सिंह, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, .उ0नि0 भगत सिंह, मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- बरदह
जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर बेहोश कर देने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 06.11.23 को वादिनी मुकदमा श्रीमती मगरा देवी पत्नी लालमनी राजभर निवासिनी कुम्भ थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि जमीनी विवाद को लेकर आज सुबह 07:00 बजे मेरे ही गांव के साई नाथ पुत्र वशी, नरायन व विनोद प्रमोद पुत्रगण साईनाथ बुधई पुत्र वशी प्रदीप पुत्र इन्द्रदेव करीया पुत्र सुधई इन्दल पुत्र जगरनाथ, बलका पत्नी इन्द्रदेव उदरेज पुत्र वशी सीलवन्ती पत्नी, उदरेज, व अन्य अज्ञात निवासी गण कुम्भ थाना बरदह आजमगढ़ ने गाली गुप्ता देते हुये लात मुक्का व लाठी डन्डा से मेरे भतीजे सुनील व सुनील की पत्नी सोनी लखपत्ती पत्नी सरवन, अजीत पुत्र गुड्डू अनीला पत्नी प्यारे सुनीता पत्नी गुड्डू को मारे पीटे है जिससे चोटें आई जो गंभीर है। सुनील कुमार मौके पर बेहोश हो गये थे।

उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 458/23 धारा 323/504/506/308/34 भादवि0 बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 09.11.23 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.उदयराज पुत्र रघुनाथ 2. शयनाथ पुत्र बंशी निवासीगण ग्राम कुम्भ थाना बरदह, आजमगढ़ को ग्राम कुम्भ से समय 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.उदयराज पुत्र रघुनाथ ग्राम कुम्भ थाना बरदह, आजमगढ़
2. शयनाथ पुत्र बंशी ग्राम कुम्भ थाना बरदह, आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- अभियुक्त उदयराज के पास से घटना में प्रयुक्त लाठी व अभियुक्त शयनाथ के पास से घटना में प्रयुक्त डण्डा

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 458/23 धारा 323/504/506/308/34 भादवि0

गिरफ्तारी करने वाली टीम-1. उ0नि0 कमला सिंह यादव व उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज
पैसे का लालच देकर धर्मपरिवर्तन करा रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

दिनांक 08.11.2023 को वादी मुकदमा गोमती प्रसाद पुत्र पलटन राम निवासी ग्राम- बिलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया दिनांक 08.11.2023 को समय करीब- 12.00 बजे दिन में अभियुक्तगण 1. फिरतू राम पुत्र स्वं0 बीरा राम 2. सरस्वती पत्नी फिरतू राम 3. कमला देवी पत्नी बृजेन्द्र कुमार 4. हिरौती पत्नी जगन्नाथ निवासीगण ग्राम- बिलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 5. रघुवीर कुमार पुत्र तुफानी राम निवासी ग्राम धनिया कुण्डी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 6. सूरज कुमार पुत्र जगदीश राम निवासी सकतपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ व गांव की अन्य 8-10 महिलाएँ द्वारा ईसाई मिशनरी द्वारा ब्रेनवास करके रूपया पैसा का लालच देकर वादी की पत्नी विमला देवी व गांव के अन्य महिलाओं व बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 294/23 धारा 3, 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 वंशराज सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 09.11.2023 को उ0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. फिरतू राम पुत्र स्वं0 बीरा राम निवासी ग्राम- बिलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2. रघुवीर कुमार पुत्र तुफानी राम निवासी ग्राम धनिया कुण्डी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 3. सूरज कुमार पुत्र जगदीश राम निवासी सकतपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को ग्राम जिलादारगंज (रामनगर पुलिया) वहद ग्राम देवहट्टा के पास से नियमानुसार समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. फिरतू राम पुत्र स्वं0 बीरा राम निवासी ग्राम- बिलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. रघुवीर कुमार पुत्र तुफानी राम निवासी ग्राम धनिया कुण्डी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. सूरज कुमार पुत्र जगदीश राम निवासी सकतपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अपराध

मु0अ0सं0 294/23 धारा 3, 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 पंजीकृत थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. एक अदद बाइबल बुल
2. एक अदद क्रूश

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 वंशराज सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 सज्जन सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 संदीप दूबे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
4. का0 राजन प्रसाद थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना- कोतवाली

कूटरचित करेन्सी नोटो को असली के रूप में चलाने वाला आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व जुर्माना

➡दिनांक- 04.07.2004 को थाना कोतवाली क्षेत्र अभियुक्त घरभरन चौहान पुत्र पलकधारी चौहान निवासी जमीन बेलकुण्डा, थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा दुर्गा टाकिज के पास जाली नोट अपने पास रखकर टिकट लेकर उसी पैसे को चलाने व पिकचर देखने का प्रयास किया गया था।

➡उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-876/2004 धारा 489ख, 489ग भादवि पंजीकृत किया गया।

➡बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡आज दिनांक- 09.11.2023 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त घरभरन चौहान पुत्र पलकधारी चौहान निवासी जमीन बेलकुण्डा, थाना रौनापार आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष के कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।